लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

दिनांक : 19.07.2014
समय व दिन : अपरान्ह् 05:00 बजे – शनिवार
स्थान : समिति कक्ष, प्रशासनिक भवन (कुलसचिव कार्यालय)

दिनांक : 19.07.2014 अपरान्ह् 05:00 बजे – शनिवार समिति कक्ष, प्रशासनिक भवन (कुलसचिव कार्यालय) में सम्पन्न हुई कार्य परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:–

1. प्रो0 एस0बी0 निमसे	–	अध्यक्ष
2. प्रो0 ए0के0 सेन गुप्ता	–	सदस्य
3. प्रो0 निरूपमा अग्रवाल	–	सदस्य
4. प्रो0 निधि बाला	–	सदस्य
5. डॉ0 अनिल कुमार	–	सदस्य
6. डॉ0 मोहम्मद सिराजुद्दीन	–	सदस्य
7. प्रो0 डी0पी0 तिवारी	–	सदस्य
8. डॉ0 आभा बिश्नोई	–	सदस्य
9. डॉ0 आर0के0 तिवारी	–	सदस्य
10. डॉ0 बबिता जयसवाल	–	सदस्य
11. डॉ0 शशि लता सिंह	–	सदस्य
12. डॉ0 एस0पी0 सिंह	–	सदस्य
13. श्री अनिल कुमार सिंह	–	सदस्य
14. डॉ0 सूर्य कान्त	–	सदस्य
15. श्री देबी प्रसाद चौधरी	–	सदस्य
16. सुश्री परवीन तल्हा, आई0आर0एस0(सेवानिवृत्त)	–	सदस्य
17. श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी, आई0ए0एस0(सेवानिवृत्त)	–	सदस्य
18. कै0 अमिताभ प्रकाश, पी0सी0एस0	–	सचिव

बैठक में श्री रत्नेश्वर भारती (वित्त अधिकारी) भी उपस्थित थे।

Scanned by CamScanner

कार्य परिषद की बैठक आरम्भ करते हुये सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले सदस्य यथा डॉ0 गीता अस्थाना, उपाचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग, डॉ सारनाथ सिंह, उपाचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग तथा डॉ. देश दीपक, उपाचार्य, रसायन विज्ञान विभाग के योगदान तथा सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और परिषद के नवागत सदस्य – यथा डॉ0 आभा बिश्नोई, उपाचार्य, रसायन विज्ञान विभाग तथा डॉ0 आर0के0 तिवारी, उपाचार्य, रसायन विज्ञान विभाग का बैठक में स्वागत किया तथा उनके सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा की। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा परिषद को विश्वविद्यालय में वर्तमान में होने वाली उपलब्धियों से अवगत कराया गया।

<u>मद संख्या 01 :</u> बैठक की मदवार चर्चा आरम्भ होते ही परिषद सदस्य डॉ0 एस0पी0 सिंह, प्राचार्य, नेशनल पी0जी0 कॉलेज द्वारा दिनाँक 23.05.2014 की आकस्मिक बैठक में लिए गए डॉ0 नीरज कुमार के निर्णय के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए डॉ0 नीरज कुमार द्वारा दिये गये पत्र दिनाँक 03.06.2014 पर घोर आपत्ति उठाते हुए दिनाँक 23.05.2014 में लिए गये निर्णय से असहमति व्यक्त करते हुए पुनः उक्त प्रकरण को परिषद के समक्ष विचार करने के लिए अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया जिस पर माननीय सदस्या यथा सुश्री परवीन तलहा, प्रो0 सूर्य कान्त ने समर्थन किया तत्पश्चात् उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गयी चर्चा के उपरान्त प्रो0 तिवारी द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय पर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की जिस पर माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गयी। माननीय सदस्य श्री आर0सी0 त्रिपाठी द्वारा उक्त लिए गए निर्णय पर निन्दा करते हुए असहमति व्यक्त की गयी। श्री त्रिपाठी ने डॉ0 नीरज कुमार के सम्बन्ध में कहा कि दिनाँक 23.05.2014 को निर्णय बहुमत से लिया गया था। परिषद द्वारा दिनाँक 23.05.2014 के निर्णय को बहुमत से लिये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

नीरज कुमार द्वारा दिनाँक 03.06.2014 को दिया गया पत्र निराधार, असत्य एवं मिथ्या होने के कारण शून्य है तथा डॉ0 नीरज कुमार के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित वाद की प्रगति को समय–समय पर होने वाली कार्य परिषद के सदस्यों को सूचनार्थ बैठकों में प्रस्तुत की जाये तथा डॉ0 नीरज कुमार का समस्त देयों में पेंशन उसी पद पर निर्धारित की जाये जिस पर इनका कोई विवाद न हो। परिषद द्वारा श्री त्रिपाठी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर सहमति प्रदान की गयी।

Scanned by CamScanner

माननीय सदस्य श्री देबी प्रसाद चौधरी (एडवोकेट) द्वारा कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनाँक 23.05.2014 के सम्बन्ध में दिये गये पत्र दिनाँक 23.06.2014 को कार्य परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करने की अपेक्षा के क्रम में कार्य परिषद सदस्य प्रो0 डी0पी0 तिवारी द्वारा उक्त पत्र को अक्षरशः पढ़ा गया जिसपर माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार सिंह जी द्वारा पत्र के contents को आपत्तिजनक बताते हुए पत्र की भर्त्सना की गयी, कुलसचिव द्वारा पत्र के contents को आधारहीन बताते हुये श्री डी0पी0 चौधरी के पत्र की अमर्यादित भाषा की ओर माननीय परिषद का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा गया कि सदस्य श्री डी0पी0 चौधरी का उक्त पत्र निंदनीय है। माननीय परिषद ने बहुमत से अपना अभिमत व्यक्त करते हुए सदस्य श्री अनिल कुमार सिंह की टिप्पणी से सहमति व्यक्त करते हुए उक्त पत्र को परिषद की कार्यवाही से पृथक रखने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 09 (र) पर सरदार भगत सिंह कॉलेज ऑफ हायर एजूकेशन में बी0बी0ए0 एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रमों की निरीक्षण आख्या की संस्तुति के अनुक्रम में कृमशः 120 व 80 सीटों सहित स्थायी सहयुक्तता हेतु प्रस्तावानुसार संशोधित करते हुए कार्य परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा दिनाँक 02.06.2014 को सम्पादित कार्य परिषद के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गयी।

<u>मद संख्या 02 :</u> कार्य परिषद की बैठक दिनाँक 23.05.2014 तथा 02.06.2014 में लिये गये निर्णय की कृत कार्यवाही से परिषद अवगत हुई।

<u>मद संख्या 03 :</u> कार्य परिषद द्वारा परीक्षा फल सूचना संख्या रिसर्च/05/2014 दिनाँक 06.06.2014 के अनुसार पीएच0डी0 की उपाधि प्रदान किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

<u>मद संख्या 04 :</u> कार्य परिषद की बैठक दिनाँक 08.01.2010 के विनिश्चय संख्या 38 में लिये गये क्रम में 07 बी0एड0 महाविद्यालयों द्वारा अधिक शुल्क लिये जाने के प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश संख्या 6695–6709 दिनाँक 15.02.2014 द्वारा गठित जाँच समिति की आख्या से परिषद अवगत हुई जिसमे 01 अल्पसंख्यक महाविद्यालय है तथा अन्य 06 महाविद्यालयों में अधिक फीस लिये जाने की पुष्टि नहीं हो पायी है परिषद द्वारा अल्प संख्यक महाविद्यालय के स्टेटस तथा अनुमन्य लाभों के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या हेतु कुलसचिव तथा गठित जाँच समिति की आख्या में उल्लिखित धनराशि के सत्यापन हेतु वित्त अधिकारी, लखनऊ

Scanned by CamScanner

विश्वविद्यालय को अधिकृत करते हुये कार्य परिषद की अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

<u>मद संख्या 05 :</u> परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों का विकास एवं रख–रखाव हेतु **Reliance foundation /Reliance Jio** से **memorandum of understanding(MOU)** पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>मद संख्या 06 :</u> परिषद द्वारा 25.09.2001 से पूर्व नियुक्त अनानुमोदित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 01.06.2014 से वेतनमान देने पर दी गई शर्तों के अधीन प्रदान की गयी सैद्धान्तिक सहमति के क्रम में अब तक परीक्षित 54 कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि सहित श्रेणीवार विस्तृत विवरण एवं विश्वविद्यालय द्वारा गठित पात्रता परीक्षण समिति की रिपोर्ट से परिषद अवगत हुई तथा समग्र विचारोपरान्त परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के जितने भी कर्मचारी जो दिनाँक 25.09.2001 से पूर्व के हों सभी को नियमानुसार परीक्षणोपरान्त माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति के उपरान्त वेतनमान प्रदान कर दिया जाय तथा विस्तृत रिपोर्ट से समय–समय पर कर्मचारियों की सूची के साथ परिषद को अवगत कराया जाय। 54 में से वेतनमान पाने वाले 50 कर्मचारियों की सूची निम्नवत् है (शेष चार कर्मचारियों का प्रकरण विचाराधीन है) :–

वेतनमान प्रदान किये जाने वाले कर्मचारियों की सूची			
1.	श्री मनोज कुमार सैनी (परिचर)	2.	श्री बच्चा सिंह (नैत्यिक लिपिक)
3.	श्री विनोद कुमार (स्वीपर)	4.	श्री सुनील कुमार (स्वीपर)
5.	श्री शिव करन लाल (स्वीपर)	6.	श्री दिनेश बाल्मीकी (स्वीपर)
7.	श्री राजेश कुमार गोस्वामी (बियरर)	8.	श्री राजेश कुमार (स्वीपर)
9.	श्री विजय कुमार (स्वीपर)	10.	श्री भुसैली (बियरर)
11.	श्री त्रिलोकी (बियरर)	12.	श्री ब्रह्मादीन (बियरर)
13.	श्री राज नारायन सिंह (फर्राश)	14.	श्री मनोज कुमार (चौकीदार)
15.	श्रीमती शिव कुमारी (स्वीपर)	16.	श्री जवाहर लाल (चौकीदार)
17.	श्री अनवर अली (चौकीदार)	18.	श्री पन्ना लाल (वायरमैन)
19.	श्री सरदार खान (सुरक्षा प्रहरी)	20.	श्री ज्ञान शंकर (सुरक्षा प्रहरी)
21.	श्री दिनेश कुमार (बेलदार)	22.	श्री विष्णू (परिचर)
23.	श्री मुकेश (स्वीपर)	24.	श्री अशोक कुमार (परिचर)
25.	श्री विनोद कुमार (परिचर)	26.	श्री रामचन्द्र (परिचर)
27.	श्री सतीश कुमार (वाहन चालक)	28.	श्रीमती ऊषा सिंह (नैत्यिक लिपिक)

Scanned by CamScanner

29.	श्री नीरज गुप्ता (नैत्यिक लिपिक)	30.	श्री नत्थू लाल (चौकीदार)
31.	श्री फूलबदन (लैब बियरर)	32.	श्री सोम नाथ (परिचर)
33.	श्री तेज कुमारी (नैत्यिक लिपिक)	34.	श्री मनीष शर्मा (परिचर)
35.	श्री मोहित कपूर (नैत्यिक लिपिक)	36.	श्री अनिल कुमार (परिचर)
37.	श्री अनूप किशोर (प्रशासनिक अधिकारी)	38.	श्री संजय सक्सेना (अवर अभियन्ता)
39.	श्रीमती बंदना सिंह (नैत्यिक लिपिक)	40.	श्रीमती राजदेवी (परिचर)
41.	श्रीमती गीता (आया)	42.	श्री पवन कुमार पाल (माली)
43.	श्री दयानन्द रावत (परिचर)	44.	श्री गिरजेश कुमार यादव (परिचर)
45.	श्रीमती चन्दावती (स्वीपर)	46.	श्रीमती विजय लक्ष्मी (आया)
47.	श्रीमती कलावती (आया)	48.	श्रीमती सावरी (आया)
49.	डा० अवधेश नारायन सिंह (फील्डवर्क सुपरवाइज़र)	50.	श्री दिलीप कुमार (परिचर)

<u>मद संख्या 07 :</u> परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में 29.06.1991 से पूर्व नियुक्त अनानुमोदित कर्मचारियों जिनको शासन द्वारा स्वीकृत वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधायें पूर्व से प्रदान की जा रही हैं उन कर्मचारियों का विनयमितीकरण विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा अपेक्षा की गई कि कार्य परिषद की प्रत्येक बैठक में समय–समय पर विनियमित किये गये कर्मचारियों की प्रगति से कार्य परिषद के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया जाय।

<u>मद संख्या 08 :</u> लखनऊ विश्वविद्यालय में पूर्व संचालित विभिन्न पाठ्क्रमों की सहयुक्तता व 2014–15 में प्रवेश की अनुमति प्रदान किये जाने पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

1. सत्यानन्द उच्च शिक्षा संस्थान – बी०बी०ए० एवं बी०सी०ए०
2. सूर्या कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट, लखनऊ – बी०बी०ए०
3. कॉलेज ऑफ इनोवेटिव मैनेजमेन्ट एवं साइंस – बी०सी०ए०
4. आदर्श बालिका डिग्री कॉलेज – बी०ए०
5. लखनऊ डिग्री कॉलेज – बी०ए०
6. आर०के०जी० एजूकेशनल कॉलेज – बी०बी०ए० एवं बी०एम०एस०
7. ज्ञान कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट – बी०बी०ए० एवं बी०सी०ए०
8. बेबी मार्टिन पब्लिक डिग्री कॉलेज – बी०एस०सी०

Scanned by CamScanner

<u>मद संख्या 08(ख) :</u> परिषद द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत एराज कॉलेज ऑफ मैनेजेन्ट एण्ड एजूकेशन, घैला, लखनऊ में पूर्व संचालित बी0ए0 एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रमों की पूर्व प्रदत्त अस्थायी सहयुक्तता को 2014–15 के लिए विस्तारण प्रदान किया गया।

<u>मद संख्या 09 :</u> कार्य परिषद द्वारा डॉ0 नीरज कुमार, द्वारा दिये गये शिकायती पत्र दिनाँक 23.06.2014 को मद संख्या 01 के अनुसार निस्तारण किया गया।

<u>पूरक कार्यसूची</u>

<u>मद संख्या 01:</u> परिषद द्वारा निम्नलिखित विभागों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन/परीक्षण समितियों की संस्तुतियों पर विचार किया गया एवं निम्नवत् निर्णय लिया गयाः—

1. <u>प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग (कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत)</u>

परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक जून 20, 2014 की संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार किया गया तथा डॉ0 अरुण सेठी को प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग के रूप में कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. <u>प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग (कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत)</u>

परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक जून 20, 2014 की संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार किया गया तथा डॉ0 आर0के0 तिवारी को प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग के रूप में कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. <u>प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग (कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत)</u>

परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक जून 20, 2014 की संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार किया गया तथा डॉ0 आभा बिश्नोई को प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग के रूप में कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

Scanned by CamScanner

4. प्रवक्ता, (सीनियर स्केल) रसायन विज्ञान विभाग (कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत)

परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक सितम्बर 20, 2013 की संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार किया गया तथा डॉ0 ज्वॉय सरकार, रसायन विज्ञान विभाग को कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत सीनियर स्केल प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. प्रोफेसर, फ्रेन्च विभाग (कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत)

परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक जुलाई 14, 2014 की संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार किया गया तथा डॉ0 ए0के0 लाल को प्रोफेसर, फ्रेन्च विभाग के रूप में कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

6. प्रवक्ता, (सीनियर स्केल) फ्रेन्च विभाग (कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत)

परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक जुलाई 14, 2014 की संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार किया गया तथा डॉ0 एस0पी0 सिंह, फ्रेन्च विभाग को कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत सीनियर स्केल प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

7. प्रोफेसर, भूगर्भ विज्ञान विभाग (कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत)

परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक जुलाई 15, 2014 की संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार किया गया तथा डॉ0 मुनेन्द्र सिंह को प्रोफेसर, भूगर्भ विज्ञान विभाग के रूप में कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

8. एसोसिएट प्रोफेसर, भूगर्भ विज्ञान विभाग (कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत)

परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक जुलाई 15, 2014 की संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार किया गया तथा डॉ0 ध्रुव सेन सिंह को एसोसिएट प्रोफेसर, भूगर्भ विज्ञान विभाग के रूप में कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

Scanned by CamScanner

9. प्रोफेसर, भूगर्भ विज्ञान विभाग (कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत)

परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक जुलाई 15, 2014 की संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार किया गया तथा डॉ0 रामेश्वर बली को प्रोफेसर, भूगर्भ विज्ञान विभाग के रूप में कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

10. एसोसिएट प्रोफेसर, भूगर्भ विज्ञान विभाग (कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत)

परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक जुलाई 15, 2014 की संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार किया गया तथा डॉ0 अजय मिश्रा को एसोसिएट प्रोफेसर, भूगर्भ विज्ञान विभाग के रूप में कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

11. प्रोफेसर, भूगर्भ विज्ञान विभाग (कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत)

माननीय सदस्य प्रो0 डी0पी0 तिवारी द्वारा डॉ0 साराजीत सेन शर्मा की प्रोन्नति को प्रथम परिनियमावली में नियमविरुद्ध बताया गया। परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक जुलाई 15, 2014 की संस्तुतियों को इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों के परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर प्रोफेसर, भूगर्भ विज्ञान विभाग के रूप में कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की जाय।

12. प्रोफेसर, पाली विभाग (कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत)

परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक जुलाई 16, 2014 की संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार किया गया तथा डॉ0 अरूणा शुक्ला को प्रोफेसर, पाली विभाग के रूप में कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 02: वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.06.2014 के कार्यवृत्त पर परिषद द्वारा आगामी बैठक के विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 03: परिषद द्वारा श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या ई–3901/05–जी0एस0/2014 दिनाँक 16.06.2014 पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned by CamScanner

<u>मद संख्या 04</u>: परिषद द्वारा वित्त समिति की बैठक में सदस्यता हेतु एक व्यक्ति का निर्वाचन किये जाने पर चर्चा हुई, चर्चा के उपरान्त उक्त प्रकरण पर आगामी कार्य परिषद की बैठक में विचार किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>मद संख्या 05</u>: परिषद द्वारा श्री आर0सी0 त्रिपाठी (सेवानिवृत्त आई0ए0एस0) द्वारा दिनाँक 23.05.2014 को सम्पन्न आकस्मिक कार्य परिषद की बैठक में डॉ0 नीरज कुमार के प्रकरण पर लिये गये निर्णय पर आपत्ति पत्र दिनाँक 07.07.2014 से परिषद अवगत हुई तथा आकस्मिक कार्य परिषद की कार्यवृत्त में श्री आर0सी0 त्रिपाठी द्वारा उठायी गयी आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नवत् संशोधन किया गयाः–

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनाँक 23.05.2014 में श्री आर0सी0 त्रिपाठी, सदस्य कार्य परिषद ने यह आपत्ति उठायी कि उक्त कार्य परिषद का निर्णय सर्वसम्मति से न होकर बहुमत से हुआ को संशोधित करते हुए पढा जाय।

<u>मद संख्या 06</u>: कार्य परिषद द्वारा परीक्षा फल सूचना संख्या रिसर्च/06/2014 दिनाँक 08.07.2014 के अनुसार पीएच0डी0/डी0लिट् की उपाधि प्रदान किये जाने पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>कार्यसूची के इतर मद</u>

<u>मद संख्या 02 :</u> परिषद द्वारा स्व0 अतुल महेश्वरी गोल्ड मेडल प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

<u>मद संख्या 03 :</u> परिषद द्वारा स्व0 एस0सी0 सेनगुप्ता तथा सुप्रभा सेनगुप्ता मेमोरियल गोल्ड मेडल की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में प्रो0 ए0के0 सेनगुप्ता के पत्र <u>292/P.V.C./2014</u> दिनाँक 15.07.2014 पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>मद संख्या 04 :</u> परिषद द्वारा विद्या परिषद की बैठक दिनाँक 17.07.2014 की कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>नोट :</u> बैठक की कार्यवाही समाप्त होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्य परिषद की कार्यवाही में अन्य मद के रूप में अंशकालीन शिक्षकों के प्रकरण को चर्चा में लाया गया। कार्यसूची के इतर अन्य किसी प्रकरण पर विचार किए जाने हेतु परिषद की संस्तुति प्रदान की गयी। शिक्षक श्री महेन्द्र कुमार (भौतिकी) तथा शिक्षक श्री पुनीत कुमार (भौतिकी) के प्रत्यावेदन पर कार्य परिषद द्वारा विचार किया गया तथा

Scanned by CamScanner

सर्वसम्मति से यह निर्णय पारित किया गया कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यालय द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरान्त ही, उक्त अंशकालिक शिक्षक 'अ' श्रेणी में शामिल अन्य अंशकालिक शिक्षकों के यदि समकक्ष हो तब समानता के आधार पर उन्हें स्क्रीनिंग समिति के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति देते हुए लेक्चरर वरिष्ठ वेतनमान दिए जाने पर विचार कर लिया जाए। कार्यालय के पीरक्षण हेतु बिन्दु निम्न हैः–

1. कुलसचिव कार्यालय इस बात का परीक्षण कर ले कि उक्त अंशकालिक शिक्षक प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निधारित तथा विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विहित समस्त शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं धारित करते हों।

2. कुलसचिव कार्यालय इस बात का परीक्षण भी कर ले कि उक्त अंशकालिक शिक्षकों को भौतिक विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वेतनमान अनुमन्य किए जाने की तिथि में प्रवक्ता के मौलिक पद वर्तमान में रिक्त हों।

कार्य परिषद द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि उक्त अंशकालिक शिक्षकों को प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान दिए जाने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार किए जाने का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 1740(एस0बी0)/2011 में पारित आदेश की भावना के अनुरूप लिया गया तथा उक्त अंशकालिक शिक्षकों को प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान की देयता मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित रिट याचिका संख्या 964(एस0बी0)/2004 तथा रिट याचिका संख्या 1184(एस0बी0)2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले किसी आदेश/अंतिम आदेश के अधीन रहेगी।

(डॉ0 एस0बी0 निमसे)
कुलपति
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ

(कैं0 अमिताभ प्रकाश)
कुलसचिव
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ

Scanned by CamScanner